कार्यालय, आयकर आयुक्त, कोल-XIX, कोलकाता
दूसरी मंजिल, 3,गवर्नमेंट प्लेस (पश्चिम), कोलकाता- 700 001.

आदेश संख्या - आ०आ०-XIX/कोल/धारा 80 जी/06/2006-07/ **दिनांक- 26.03.2007**

निर्धारिती का नाम और पता - To,
The Secretary,
Indian Institute of Technology Kharagpur
Alumni Foundation (India),
I I T, Kharagpur, Dist- West Midnapore - 721302.

स्थायी लेखा संख्या०- AAAAI1421J

आयकर अधिनियम की धारा 80 जी(5)(vi) के अन्तर्गत प्रमाणपत्र
(प्रारंभिक)

मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए तथ्यों के अवलोकन एवं आवेदक के मामले की सुनवाई के पश्चात मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि उक्त संस्था ने आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के अन्तर्गत उपधारा (5) की शर्तों को पूरा किया है. निम्नांकित किसी शर्त की अवज्ञाए दुरूपयोग कमी या उलंघन की स्थिति में कानून के अनुसार ये सुविधाएं दाता संस्थान से जब्त कर ली जायेंगी।

सस्था को 80 जी की यह छूट ***01.04.2006 से 31.03.2008*** तक वैद्ध है और यह निम्न शर्तो पर दी जाती है -

i) संस्था अपनी लेखा पुस्तकें नियमित रूप से बनाए रखेगी और उनका परीक्षण आयकर की धारा 80 जी (5)(iv) के अधीन - धारा 12ए(बी) के अनुपालन के साथ करवायेगी।

ii) दानदाताओं की दी जाने वाली रसीद पर इस आदेश की संख्या एवं दिनांक अंकित की जायेगी और उस पर यह स्पष्ट रूप से छपवाया जायेगा कि यह प्रमाणपत्र कब तक वैध है।

iii) न्यास /संस्था के विलेख(deed) में परिवर्तन कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप ही किया जायेगा और इसकी सूचना इस कार्यालय को तत्काल दी जायेगी।

iv) यदि संस्था धारा जी के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 12(ए), धारा 12 एए (1)(बी) के अन्तर्गत पंजीकृत है अथवा संस्था ने धारा 10(23), 10(23सी)-(vi)(vi-ए) के अंतर्गत मंजूरी प्राप्त कर ली है तो धारा 80-जी(5)(i)(ए) के अधीन किसी व्यवसायिक गतिविधि चलाने के लिए संस्था को अलग से लेखा पुस्तकें रखनी होगी, साथ ही ऐसी गतिविधि शुरू होने की तारीख के एक माह के भीतर उसकी सूचना इस कार्यालय को देनी होगी।

v) 80-जी के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त दानराशि का किसी व्यवसार हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग नही किया जायेगा।

पृष्ठ-2/---

vi) संस्था दानदाता को प्रमाणपत्र जारी करते समय ऊपर वर्णित प्रतिबध्दता का आदर करेगी और सुनिश्चित करेगी की प्रमाणपत्र का दुरूपयोग या अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग न हो।

vii) संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि किसी गैर न्यासी प्रयोजन के लिए न्यास या सोसायटी या गैर-लाभ-कंपनी द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जाएगा और न ही इसके उपयोग की कोशिश की जाएगी.

viii) संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी सूरत में संस्था या उसकी निधि का उपयोग धारा 80-जी(5)(iii) के अधीन निषिद्व किसी विशेष धर्म या जाति या समुदाय के लाभ के लिए नहीं किया जायेगा.

ix) संस्था को न्यास या सोसायटी या गैर-लाभ-कंपनी के प्रबंधक न्यासी या प्रबंधक के बारे में बताए और बताए गए उदेश्यों को पूरा करने के लिए न्यास या संस्था के क्रिया कलाप कहाँ किए जा रहे हैं या किए जाने की संभावना है इसकी सूचना इस कार्यालय एवं निर्धारण अधिकारी को देनी होगी.

x) यदि नवीकरण के लिए कार्यालय से संपर्क नहीं किया गया हो तो आस्तियों का प्रयोग किस प्रकार किया जायेगा या किन उदेश्यों के लिए प्रयोग किया जायेगा इस संबंध में इस कार्यालय को तुरंत सूचित किया जायेगा.

xi) धार्मिक व्यय कुल आय के 5% से अधिक नहीं होगी.

आयकर अधिनियम 1961, की धारा 80-जी के अन्तर्गत प्रमाणपत्र न्यास या संस्था की आय को अपने आप छूट नहीं देता.

Sd/-

(प्रमोद चंद्र श्रीवास्तव)

आयकर आयुक्त, कोल-XIX, कोलकाता

Memo No. CIT-XIX/Kol/U/s. 80G/6/2006-07/5668-71 Dated-26.03.2(

प्रतिलिपि - (i) उपर्युक्त आवेदक

(ii) अति./संयुक्त आयकर आयुक्त - रेंज-२, मिदनापुर,

(iii) आयकर अधिकारी - 2(2), मिदनापुर, यह निर्देश दिया जाता है कि आवेदक के उपयुक्त वर्षों के वार्षिक लेखा का अवलोकन करके यह सुनिश्चित करें कि आयकर अधिनियम की धारा 80जी के अन्तर्गत दी गयी शर्तों और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों का उचित अनुपालन आवेदक द्वारा किया गया है। यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो उसे समय समय पर तुरंत रिपोर्ट किया जाय.

(iv) गार्ड फाइल

ए. के. मंडल.

(ए० के० मंडल)

आयकर अधिकारी, (टेकनिकल)-19, कोलकाता

कृते आ० आ०, कोल-XIX, कोल०

Commissioner of Income Tax-XIX, Kolkata

ए. के. मण्डल
A. K. MANDAL
आ.अ.(तकनीकी) XIX, कोलकाता
I.T.O.(Tech) XIX, Kolkata